

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(32)राज / वाद / 19

जयपुर, दिनांक ०२-०९-२०१९

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 32 के अनुसार विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, सं02, उदयपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु श्री कुलदीप परिहार, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर / 1048 / 06) को विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं02, उदयपुर के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

५०
(जगमोहन शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर / जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर / जोधपुर।
8. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, उदयपुर।
9. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं02, उदयपुर।
10. जिला कलक्टर, उदयपुर।
11. कोषाधिकारी, उदयपुर।
12. संबंधित अभियोजक।
13. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
14. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
15. लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
16. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।


०२/९/२०१९

(जगमोहन शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

राजस्थान सरकार
 विधि एवं विधिक कार्य विभाग
 (राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(32)राज / वाद / 19

जयपुर, दिनांक ०२-०९-२०१९

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार निम्नांकित अभिभाषकों को उनके नाम के सम्मुख पद व स्थान तथा मासिक रिटेनरशिप रूपये 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो तक, के लिए राज्य सरकार की ओर पैरवी करने हेतु नियुक्त किया जाता है :—

क्रमांक	नाम अभिभाषक	एनरोलमेन्ट नं	पद नाम
1	श्री संदीप श्रीमाली	आर/ 362/ 02	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं04, उदयपुर।
2	श्री प्रकाश चन्द्र	आर/ ए-१/ 04	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सलूम्बर, जिला उदयपुर।

निम्नांकित अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

क्रमांक	नाम अभिभाषक	पद नाम
1	श्री नाहर सिंह चूण्डावत	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सलूम्बर, जिला उदयपुर।

आज्ञा से

४०
 (जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/ जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/ जोधपुर।
8. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, उदयपुर।
9. अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, सं04 उदयपुर/ सलूम्बर, जिला उदयपुर।
10. जिला कलक्टर, उदयपुर।
11. कोषाधिकारी, उदयपुर।
12. संबंधित अभियोजक।
13. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
14. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
15. लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
16. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।



०२०१९/२०१९

(जगमोहन शर्मा)
 विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण